पत्रांक–11/आ0–न्याय–14/2012 सा0प्र0 13073/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक 18.9.14

विषयः– **सेलेक्शन ग्रेड, ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 में विभागीय आदेश ज्ञापांक–11218 दिनांक–12.08.2014 लागू नहीं होने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 19114/2012 सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.08.2014 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। एतद् संबंधी आदेश विभागीय पत्रांक–11218 दिनांक 12.08.2014 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। उपर्युक्त स्थनादेश संवर्गीय प्रोन्नति के संबंध में निर्गत किया गया है, जो अद्यतन प्रभावी है।

जहाँ तक सेलेक्शन ग्रेड प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 का प्रश्न है, चूँकि ये प्रोन्नतियाँ संवर्गीय प्रोन्नति की परिधि में नहीं आती हैं तथा इन पर आरक्षण प्रभावी नहीं होता है। अतः सेलेक्शन ग्रेड प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी प्रोन्नति में स्थगनादेश संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक 11218 दिनांक–12.08.2014 प्रभावी नहीं होगा।

विश्वासभाजन,

18/9/2014

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH - HINDI LETTER